जिला सेवायोजन कार्यालय–सुलतानपुर।

सेवायोजन सेवा

पंजीयन तथा प्लेसमेन्ट कार्यक्रम

सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को अपना पंजीयन कराना होता है। ऐसे अभ्यर्थी भी अपना पंजीयन करा सकते है जो सेवारत हैं और अच्छे रोजगार की तलाश मे रहते हैं। पंजीयन तीन वर्षो के लिए मान्य होता है। इसके उपरान्त अभ्यर्थियों को अपने पंजीयन का नवीनीकरण कराना होता है। नवीनीकरण के अभाव में अभ्यर्थियों का नाम सक्रिय पंजिका से हटा दिया जाता है। पंजीयन के समय अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होता है। सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत अभ्यर्थियों के ऑकड़ों का रख रखाव अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय व्यवसायिक वर्गीकरण (एन0सी0ओ0) के अनुसार किया जाता है। इस हेतु शौक्षिक योग्यतावार अनुभववार एवं राष्ट्रीय व्यावसायिक वर्गीकरण का कोड निर्धारित है।

सेवायोजन कार्यालय में सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त नियोजकों तथा निजी क्षेत्र के ऐसे नियोजक जहॉ 25 अथवा अधिक कार्मिक कार्यरत है, को अपनी रिक्तियों को अधिसूचित करना अनिवार्य है। निजी क्षेत्र के नियोजकों के लिए ऐच्छिक है कि वे सेवायोजन कार्यालय से नाम मंगाये अथवा न मंगाये। नियोजक से रिक्तियां प्राप्त होने पर सेवायोजन कार्यालय में नियोजक के नाम से तुरन्त अभिलेख खोल दिया जाता है। उसमें नियोजक की मांग का पूर्ण विवरण रखा जाता है। इसके उपरान्त नियोजक की मांग के अनुरूप योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों का पंजीयन की वरिष्ठता के आधार पर सम्प्रेशण किया जाता है।

व्यवसाय मार्ग निर्देशन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रों और बेरोजगार युवा वर्ग को उपयुक्त आजीविका के चयन हेतु व्यवसाय मार्ग दर्शन प्रदान किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 41 सेवायोजन कार्यालयों के वी0जी0 एककों और 11 विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्रों के माध्यम से छात्रों और अभ्यर्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थियों की शैक्षिकउपलब्धियों, रूचि–अभिरूचि, पारिवारिक और आर्थिक पृष्ठभूमि और व्यवसाय जगत की परिवर्तनशील गतिविधियों के आधार पर व्यवसायिक मार्गदर्शन और मंत्रणा प्रदान की जाती है।

स्वतः रोजगार कार्यक्रम

सवेतन रोजगार के सीमित अवसरों को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। उक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप स्वतः नियोजन के क्षेत्र में बेरोजगार अभ्यर्थियों को अपने उद्योग धन्धे स्थापित करने के अवसर प्राप्त हो रहे है। सेवायोजन कार्यालयों द्वारा इस क्षेत्र में प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है। सेवायोजन कार्यालय के पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वतः रोजगार के उपयुक्त व्यवसाय तथा स्वतः नियोजन के प्रोन्नयन के लिए बनायी गयी विभिन्न योजनाओं की भली भॉति जानकारी कराकर उन्हें स्वतः रोजगार के क्षेत्र में अपना रोजगार धंधा आरम्भ करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बेरोजगार अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, वित्तीय संस्थाओं को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से अग्रसारित किये जाते हैं।

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के संगठित क्षेत्र में नियोजकों से त्रिमास के अन्त में उनके संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या त्रिमास में उत्पन्न रिक्तियों, सेवायोजकों द्वारा रिक्तियों हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की कमी की सूचना त्रैमासिक आधार पर एकत्र की जाती है। वर्तमान समय में उक्त सूचनायें सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त अधिश्ठानों एवं निजी क्षेत्र के अकृशि अधिष्ठानों द्वारा जिनके यहां प्रायः 25 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है, सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन अधिनियम–1959) के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र ई0आर0–1 पर अधिनियम की धारा–5 तथा तत्सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत प्रेशित करना अनिवार्य है। एक वर्ष सार्वजनिक तथा दूसरे वर्ष निजी क्षेत्र के अधिश्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों की व्यवसायानुसार एवं भौतिक/प्राविधिक योग्यतानुसार संख्या तथा अगले वर्ष सम्भावित रिक्तियों की सूचना भी एकत्र की जाती है।

प्रवर्तन कार्यक्रम

सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन अधिनियम–1959 का कार्यान्वयन

1. संसद द्वारा सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन अधिनियम–1959) पारित किया गया, जिसे भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की विज्ञप्ति संख्या–ई0पी0/11(1)/60, दिनांकः 01.04.

1960 द्वारा इसी तिथि से सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की परिसीमा में सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त सेवायोजक तथा निजी क्षेत्र के (अकृषि क्षेत्र के अतिरिक्त) सेवायोजक हैं, जिनके कार्यालयों/संस्थानों/प्रतिष्ठानों में सामान्यतया 25या इससे अधिक कर्मचारी सेवारत है।

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा–4 में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सेवायोजकों का यह वैधानिक दायित्व है कि वे धारा–3 द्वारा अवमुक्त रिक्तियों के अतिरिक्त अपने कार्यालय/संस्थानों/प्रतिष्ठानों में होने वाली समस्त रिक्तियां अधिनियमान्तर्गत निर्मित नियमावली 1960 के नियम–4 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कम से कम 15 दिनों का समय देते हुए सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करें।
3. अधिनियम की धारा–5 में यह व्यवस्था है कि सेवायोजन नियमावली 1960 के नियम–6 में विनिर्दिष्ट परिलेख ई0आर0–1, ई0आर0–2 में वांछित सूचनायें त्रैमासिक/द्विवार्षिक आधार पर अपने क्षेत्र के सेवायोजन कार्यालयों को उपलब्ध करायेंगे।
4. अधिनियम की धारा–6 में निहित व्यवस्था के आधार पर विभाग के अधिकारियों द्वारा नियोजकों के प्रासंगिक अभिलेखों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि अधिनियम की विभिन्न धाराओं का विधिवत पालन किया जा रहा है।
5. अधिनियम की धारा–7 के अन्तर्गत दोशी पाये गये नियोजकों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की व्यवस्था है।

शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र

इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य समाज के निर्बल वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थियों को भाशा, सचिवीय पद्धति, आशुलिपि एवं टंकण तथा कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी सेवायोजकता में वृद्धि करना है। इन केन्द्रों द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल से मार्च तक सत्र आयोजित किया जाता है, जिनमें उक्त वर्गों के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता है। केन्द्र में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण निर्धारित की गयी है। प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है। प्रशिक्षण कम्प्यूटर, सचिवीय पद्धति, आशुलिपि, सामान्य ज्ञान, बुक कीपिंग, लेखा कार्य में दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को वैतनिक रोजगार के सीमित अवसरों के परिप्रेक्ष्य में स्वतः नियोजन की ओर प्रेरित करने का विशेष प्रयास

किया जाता है। तथा केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के अधिष्ठानों में सेवायोजित कराने के प्रयास भी करते हैं एवं इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उनके आवेदन पत्र अग्रसारित करने का भी कार्य केन्द्र द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त रोजगार के विभिन्न अवसर, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं इत्यादि के सम्बन्ध में उनको उचित मार्ग दर्शन भी दिया जाता है।

विशेष कार्यक्रम

अवसर शिविर

वैश्वीकरण के वर्तमान परिदृश्य में रोजगार बाजार में रोजगार के अवसरों की प्रकृति में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। कैरियर काउन्सिलिंग (अवसर) के अन्तर्गत विद्यार्थियों को निम्नलिखित जानकारी दी जाती :—

1. रोजगार बाजार में उपलब्ध रोजगार के अवसरों के लिए स्वयं को उपयुक्त बनाने हेतु किस प्रकार की शिक्षा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
2. उक्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर कहॉ कहॉ उपलब्ध है।

<u>रोजगार मेला</u>

रोजगार ढूँढ़ने वाले तथा रोजगार देने वालों के मध्य सीधा सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से सेवायोजन कार्यालय द्वारा समय—समय पर रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाता है।

<u>एम0ई0एस0 योजना</u>

भारत सरकार की स्किल डेवलपमेंट इनीसियेटिव के माड्युलर इम्प्लाइएबुल स्कीम के अन्तर्गत जिला सेवायोजन कार्यालय, सुलतानपुर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर के रूप में पंजीकृत है, जिसकी पंजीयन संख्या— 209490011 है। कार्यालय द्वारा आई0सी0टी0 101 तथा बी0ए0एन0 101 माड्यूल में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आई0सी0टी0 101 के 21 प्रशिक्षणार्थियों के प्रथम सत्र का मूल्यांकन संपन्न हो चुका है। द्वितीय सत्र के प्रशिक्षण की कार्यवाही चल रही है।

*